इंटेक कैपिटल लिमिटेड

पंजी. कार्यालय: 708, मंजूषा बिल्डिंग, 57, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019

परिशिष्ट IV [देखें नियम 8(1)] कब्जा सूचना

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत इन्टेक कैपिटल लि. के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के [नियम 3] के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 14.10.2021 जारी कर ऋणधारक मैसर्स पूजा एंटरप्राइजेज (कर्जदार) इसके प्रोपराइटर श्री राम प्रसाद शर्मा के माध्यम से, तथा श्री राम प्रसाद शर्मा (सह-कर्जदार), श्रीमती लोकेश शर्मा (सह-कर्जदार/बंधककर्ता) से ऋण खाता सं. LNFBD03415-160005878 तिथि 31.07.2015 के परिप्रेक्ष्य में उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित 31.03.2021 तक राशि रु. 7,61,671/- (रुपए सात लाख इकसठ हजार छः सौ इकहत्तर मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक/मार्टगैजर इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 4 जनवरी, 2021 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों /मार्टगैजर तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय 31.08.2021 तक रु. 7,61,671/- (रुपए सात लाख इकसठ हजार छः सौ इकहत्तर मात्र) तथा पूर्ण भुगतान तक उस पर ब्याज एवं व्ययों के लिए इन्टेक कैपिटल लि. के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

मकान नं. 1895 (प्लॉट नं. 139 का पूर्वी भाग), खसरा नं. 19/4, पर्वतीय कॉलोनी, निकट बाल कल्याण स्कूल, मौजा गौंची, तहसील बल्लभगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा-121001 पर स्थित आवासीय/वाणिज्यिक सम्पत्ति भूमि/भवन/सलंग्नता तथा फिक्सचर।

तिथि: 04.01.2022 — प्राधिकृत अधिकारी

स्थान: नेहरू प्लेस, नई दिल्ली — इन्टेक कैपिटल लि.

प्रपत्र जी
इच्छा की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण

(दिवाला और शोधन अक्षमता (निगमित व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 36ए (1) के अधीन)

	प्रासंगिक विवरण	
1.	निगमित कर्जदार का नाम	सैंडवुड्स इंफ्राटेक प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2.	निगमित कर्जदार के गठन की तिथि	29.09.2003
3.	प्राधिकारी जिनके अधीन निगमित कर्जदार का गठन/पंजीयन किया गया है	आरओसी-दिल्ली
4.	निगमित कर्जदार का कॉरपोरेट आईडेंटिटी नम्बर/लिमिटेड लॉयबिलिटी आईडेंटिफिकेशन नम्बर	U45201DL2003PTC122426
5.	निगमित कर्जदार के पंजीकृत कार्यालय व प्रधान कार्यालय (यदि कोई है) का पता	1108, अरुणाचल बिल्डिंग, 19 बाराखम्भा रोड, नई दिल्ली-110001
6.	निगमित कर्जदार के दिवालिया आरम्भ होने की तारीख	25.10.2021
7.	इच्छा की अभिव्यक्ति आमंत्रण की तारीख	07.01.2022
8.	संहिता की धारा 25(2)(एच) के अधीन समाधान आवेदकों हेतु पात्रता जहां उपलब्ध है	अंतरिम समाधान पेशेवर के पास ipsandwoods@gmail.com पर अनुरोध भेज कर प्राप्त किया जा सकता है।
9.	धारा 29ए के अधीन लागू अपात्रता के नियम जहां उपलब्ध है:	अंतरिम समाधान पेशेवर के पास ipsandwoods@gmail.com पर अनुरोध भेज कर प्राप्त किया जा सकता है। संहिता की धारा 29ए https://ibbi.gov.in/legal-framework/act पर भी उपलब्ध है।
10.	इच्छा की अभिव्यक्ति प्राप्त होने की अंतिम तारीख	27.01.2022
11.	प्रत्याशित समाधान आवेदकों की अनंतिम सूची जारी होने की तारीख	06.02.2022
12.	अनंतिम सूची की आपत्तियां जमा करने की अंतिम तारीख	11.02.2022
13.	प्रस्तावित समाधान आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तारीख	21.02.2022
14.	सूचना ज्ञापन, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा प्रत्याशित समाधान आवेदकों के लिए प्रस्ताव योजना हेतु अनुरोध जारी करने की तारीख	11.02.2022
15.	समाधान योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना ज्ञापन तथा आगे की जानकारी प्राप्त करने का हेतु अनुरोध का प्रारूप	पात्र आवेदक से समाधान योजना जमा करने का अनुरोध किया जाएगा तथा अनुरोध के साथ उन्हें योजना प्रक्रिया दस्तावेज, मूल्यांकन मैट्रिक्स एवं सूचना ज्ञापन प्रदान किया जाएगा। प्रत्याशित आवेदक ipsandwoods@gmail.com पर ईमेल भेज कर किसी भी तरह की जानकारी के लिए अनुरोध भेज सकते हैं।
16.	समाधान योजनाएं जमा करने की अंतिम तारीख	13.03.2022
17.	समाधान पेशेवर के पास समाधान योजनाएं जमा करने का प्रारूप	ipsandwoods@gmail.com पर ईमेल के जरिए साथ में पासवर्ड सुरक्षित संलग्निका के साथ अथवा इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज मीडिया (पेन ड्राइव इत्यादि) में पासवर्ड संरक्षण के साथ
18.	अनुमोदन हेतु निर्णायक प्राधिकारी के पास समाधान योजना जमा करने की अनुमानित तारीख	08.04.2022
19.	समाधान पेशेवर का नाम एवं पंजीयन संख्या	श्री रवीन्द्र कुमार गोयल IBBI/IPA-001/IP-P00705/2017-2018/11252
20.	बोर्ड के साथ पंजीकृत समाधान पेशेवर का नाम, पता एवं ईमेल	पता: फ्लैट नं. 211, प्लाटिनियम टावर, पीर मुच्छला, ढाकोली, साहिबजादा, अजित सिंह नगर, पंजाब 160104, ईमेल आईडी: ravinderkumargoel@yahoo.in
21.	समाधान पेशेवर के साथ पत्राचार हेतु प्रयोग किया जाने वाला पता एवं ईमेल	#301, तीसरी मंजिल, प्लॉट डी-190, सेक्टर 74 फेज 8बी एसएएस नगर मोहाली 160071 पंजाब ipsandwoods@gmail.com
22.	और विवरण जहां उपलब्ध है	ipsandwoods@gmail.com पर ईमेल भेज कर प्राप्त किया जा सकता है।
23.	प्रपत्र जी के प्रकाशन की तारीख	07.01.2022

रवीन्द्र कुमार गोयल
IBBI/IPA-001/IP-P00705/2017-2018/11252
समाधान पेशेवर
सैंडवुड्स इंफ्राटेक प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
पता: फ्लैट नं. 211, प्लाटिनियम टावर, पीर मुच्छला, ढाकोली, साहिबजादा, अजित सिंह नगर, पंजाब 160104

तारीख: 07.01.2022
स्थान: मोहाली

RELIANCE Asset Reconstruction
रिलायंस एस्सेट रिकंस्ट्रक्शन कं. लि.

निगमित कार्यालय: रिलायंस सेंटर, 6वीं मंजिल, नॉर्थ विंग, ऑफ, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, सांताक्रूज (ईस्ट) मुंबई-400055

कब्जा सूचना (परिशिष्ट IV) नियम 8(1)

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) (यहां के बाद ''आरएआरसी'' के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत व प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में **मैसर्स रिलायंस एस्सेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (आरएआरसी), एक संपत्ति निर्माण कंपनी** (भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत) के प्राधिकृत अधिकारी मौजूदा अधिकारी ने उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर **09.03.2018** से ब्याज के सहित सूचना में वर्णित राशि **रु. 6,54,643.85/-** का भुगतान करने के लिए **श्री अशोक कुमार (ऋणी) श्री राज कुमार, श्री अनिल कुमा, सभी निवासी म.नं. 228, गली नं. 4, सिहानी गेट के पास, घुकांडा मोरे, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201003 यह भी खसरा नं. 228/1, गांव सिहानी परगना, लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201003** को बुलाने के लिए मांग सूचना दिनांक **09.03.2018** जारी की थी।

ऋणी राशि का भुगतान करने में असफल रहे, एतद्द्वारा ऋणी और सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में नीचे वर्णित संपत्तियों पर **05 जनवरी, 2022** को कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से ऋणी और सर्वसाधारण को एतद्द्वारा संपत्ति के साथ लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ किया गया कोई भी लेन-देन **09.03.2018** से ब्याज व उसपर अन्य शुल्कों सहित **रु. 6,54,643.85/-** की राशि के लिए ''आरएआरसी'' के प्रभार का विषय होगा। ऋणी का ध्यान प्रतिभूतित संपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के लिए आमंत्रित है।

संपत्ति का विवरण

खसरा नं. 290/1, गांव सिहानी परगना, लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201003 के सभी भाग व पार्सल (माप लगभग 50 वर्ग यार्ड)

स्थान: गाजियाबाद — हस्ता./-
दिनांक: 05.01.2022 — प्राधिकृत अधिकारी

प्रपत्र ए
सार्वजनिक घोषणा

(भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (निगमित व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 6 के अधीन)

एसएसके ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड के ऋणदाताओं के ध्यानार्थ हेतु

	प्रासंगिक विवरण	
1	निगमित कर्जदार का नाम	एसएसके ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
2	निगमित कर्जदार के गठन की तिथि	04/12/2008
3	प्राधिकारी जिनके अधीन निगमित कर्जदार का गठन/पंजीयन किया गया है	कंपनियों के पंजीयक दिल्ली
4	निगमित कर्जदार का कॉरपोरेट आईडेंटिफिकेशन सं./लिमिटेड लायबिलिटी आईडेंटिफिकेशन सं.	U51909DL2008PTC185515
5	निगमित कर्जदार के पंजीकृत कार्यालय तथा मूल कार्यालय (यदि कोई है) का पता	**पंजीकृत कार्यालय:** X-603, छठवीं मंजिल, सिद्धार्थ अपार्टमेंट्स, एम.पी. एनक्लेव, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034
6	निगमित कर्जदार के संबंध में दिवालिया आरम्भ होने की तारीख	04/01/2022 (माननीय एनसीएलटी दिल्ली से आदेश 5 जनवरी, 2022 को प्राप्त हुआ)
7	दिवालिया समाधान की प्रक्रिया बंद करने की अनुमानित तारीख	03/07/2022
8	अंतरिम समाधान पेशेवर के रूप में कार्यरत दिवालिया पेशेवर का नाम तथा पंजीयन संख्या	**नाम: रीतेश कुमार अग्रवाल** **पंजी सं.:** IBBI/IPA-001/IP-P000878/2017-18/11475
9	बोर्ड के साथ यथा पंजीकृत अंतरिम समाधान पेशेवर का पता एवं ईमेल	**पता:** यूनिट नं. 531, एस.जी. शॉपिंग मॉल, डी.सी. चौक, रोहिणी सेक्टर 09, दिल्ली-110085
10	अंतरिम समाधान पेशेवर के साथ पत्राचार हेतु प्रयोग किया जाने वाला पता एवं ईमेल	ईमेल: carkagarwal@gmail.com **पत्राचार का ईमेल:** resolvestpl@gmail.com
11	दावा जमा करने अंतिम तिथि	19 जनवरी, 2022 (माननीय एनसीएलटी, दिल्ली से 5 जनवरी, 2022 को आदेश प्राप्त हुआ, अतएव आदेश की प्राप्ति की तारीख से 14 दिनों की गणना की गई है)
12	अंतरिम समाधान पेशेवर द्वारा निर्धारित धारा 21 की उप धारा (6ए) की अनुच्छेद (बी) के अधीन ऋणदाताओं की श्रेणियां, यदि कोई है	उपलब्ध नहीं
13	एक श्रेणी में ऋणदाताओं के अधिकृत प्रतिनिधियों के रूप में कार्य करने हेतु चिन्हित दिवाला पेशेवरों के नाम (प्रत्येक श्रेणी हेतु तीन नाम)	उपलब्ध नहीं
14	(क) प्रासंगिक प्रपत्र तथा (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण जहां उपलब्ध है	क) https://ibbi.gov.in/home/downloads ख) उपलब्ध नहीं

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण ने दिनांक **04 जनवरी, 2022** (माननीय एनसीएलटी, दिल्ली से 5 जनवरी, 2022 को आदेश प्राप्त हुआ) को **एसएसके ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड** के निगमित दिवाला समाधान की प्रक्रिया आरम्भ करने का आदेश दिया है।

एसएसके ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड के ऋणदाताओं को एतद्द्वारा अंतरिम प्रस्ताव पेशेवर के पास प्रविष्टि सं. 9 एवं 10 में उल्लिखित पते पर दिनांक **19 जनवरी, 2022** को अथवा उससे पहले अपने साक्ष्य के साथ अपने दावे जमा करने को कहा जाता है।

वित्तीय ऋणदाताओं को साक्ष्य के साथ अपने दावे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जमा करना होगा। अन्य सभी ऋणदाताग़ण साक्ष्य के साथ अपने दावे व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जमा कर सकते हैं।

प्रविष्टि सं. 12 के उक्त सूचीबद्ध एक श्रेणी से संबंधित वित्तीय ऋणदाता प्रपत्र सीए उपलब्ध नहीं में श्रेणी (निर्दिष्ट श्रेणी) के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्रविष्टि सं. 13 के समक्ष सूचीबद्ध तीन दिवालिया पेशेवरों में से अधिकृत प्रतिनिधि के संबंध में अपनी पसंद का उल्लेख कर पाएंगे।

दावों के गलत रहने पर अथवा झूठे साक्ष्य जमा करने पर जुर्माना लगाया जाएगा।

हस्ता/-
रीतेश कुमार अग्रवाल

तारीख: 06.01.2022 — एसएसके ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड के लिए अंतरिम समाधान पेशेवर
स्थान: नई दिल्ली — आईबीबीआई पंजी. सं. IBBI/IPA-001/IP-P000878/2017-18/11475

रेलिगेयर हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि.

RELIGARE HOME LOANS

पंजीकृत कार्यालय: पी-14 45/90, पी-ब्लॉक, पहली मंजिल, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001
केंद्रीय कार्यालय: ए-3/4/5, क्लब 125, टॉवर बी, दूसरी मंजिल, सेक्टर-125, नोएडा-201301

कब्जा सूचना (परिशिष्ट IV) नियम 8(1)

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) (यहां के बाद ''सरफेसी अधिनियम, 2002'') के प्रावधानों के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में **रेलिगेयर हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि. एक गैर बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (भारतीय रिजर्व बैंक के साथ विधिवत पंजीकृत)** के प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर **21.04.2021** तक ब्याज के सहित सूचना में वर्णित राशि **रु. 8,32,935.09/-** का भुगतान करने के लिए **1. धरमजीत सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह, बी 742 ब्लॉक बी अम्बिका एन्क्लेव, निहाल विहार पीएच 2, दिल्ली-110041, यह भी- असिस्टेंट इलेक्ट्राइल रजिस्ट्रेशन अधिकारी एसी 29, तिलक नगर, दिल्ली-110018, 2. कस्तूरी धरमजीत सिंह पत्नी श्रमजीत सिंह बी 742 ब्लॉक बी अम्बिका एन्क्लेव, निहाल विहार, पीएच 2 दिल्ली-110041, यह भी बी-143, जे.जे. कॉलोनी, मादीपुर कॉलोनी, पश्चिम विहार, एस.ओ. पश्चिमी दिल्ली, दिल्ली-110063 को बुलाने के लिए मांग सूचना दिनांक 28.04.2021** जारी की थी।

ऋणी/गारंटर राशि का भुगतान करने में असफल रहे और एतद्द्वारा ऋणी और सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में यहां नीचे वर्णित संपत्ति पर **04 जनवरी, 2022** को कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से ऋणी और सर्वसाधारण को एतद्द्वारा संपत्ति के साथ लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ किया गया कोई भी लेन-देन **21.04.2021** से ब्याज व उसपर अन्य शुल्कों व राशि **रु. 10,27,364.62/-** के लिए **''आरएचडीएफसीएल''** के प्रभार का विषय होगा।

ऋणी का ध्यान प्रतिभूतित संपत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के लिए आमंत्रित हैं।

अचल संपत्तियों का विवरण निम्नानुसार है

संपत्ति बियरिंग पूरा ग्राउंड फ्लोर, छत अधिकारों के बिना, निर्मित संपत्ति बियरिंग नं. डब्ल्यूजेड 83 ए, क्षेत्र माप 43 वर्ग यार्ड खसरा नं. 16/15 का भाग, गांव केशोपुर के क्षेत्र में स्थित, कॉलोनी गुरुनानक नगर के रूप में ज्ञात, नई दिल्ली-110018 के सभी भाग व पार्सल, और सीमाएं निम्नानुसार: उत्तर: दूसरों की संपत्ति, दक्षिण: दूसरों की संपत्ति, पूर्व: गली 10 फुट, पश्चिम: दूसरों की संपत्ति

प्राधिकृत अधिकारी
स्थान: नई दिल्ली — मैसर्स रेलिगेयर हाउसिंग डेवलपमेंट
दिनांक: 04.01.2022 — फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि.

परिशिष्ट IV
देखें नियम 8(1)
कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति हेतु)

जब कि,

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 (54 of 2002) के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार शिप्रा हॉटेल्स लिमिटेड, रेगलिया होम्स एलएलपी, वर्व कन्स्ट्रक्शन एलएलपी, मोहित सिंह, शिप्रा लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड, शिप्रा एस्टेट लिमिटेड, शिप्रा हॉटेल एन्ड बार प्राइवेट लिमिटेड, विंदु सिंह, शिप्रा सिंह, स्वाति गर्ग, जूही मोहित सिंह और मास्टर पृथ्वी हरपाल सिंह (कानूनी अभिभावक और पिता श्री मोहित सिंह के द्वारा) को 28.07.2021 की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. S000240239 (इसके बाद इस रूप में संदर्भित ''कर्ज खाता नं. 1''), कर्ज खाता नं. S000240242 (इसके बाद इस रूप में संदर्भित ''कर्ज खाता नं. 2''), कर्ज खाता नं. S000240244 (इसके बाद इस रूप में संदर्भित ''कर्ज खाता नं. 3'') और कर्ज खाता नं. S000241453 (इसके बाद इस रूप में संदर्भित ''कर्ज खाता नं. 4''), राशि रू. 59,09,82,081/- (रूपये उनसठ करोड़ नौ लाख ब्यासी हजार और इक्यासी मात्र) (जिसमें बकाया मूलधन और उसका ब्याज और डिफ़ॉल्ट ब्याज शामिल है) लंबित आयकर कटौती के साथ (''टीडीएस'') राशि रू. 1,24,43,374/- (रूपये एक करोड़ चौबीस लाख तैतालीस हजार तीन सौ चौहत्तर मात्र) के साथ (''कर्ज खाता नं. 1'' के विरूध्द), राशि रू. 187,90,18,971/- (रूपये एक सौ सतासी करोड़ नब्बे लाख अठारह हजार नौ सौ इकहत्तर मात्र) (जिसमें बकाया मूलधन और उसका ब्याज और डिफ़ॉल्ट ब्याज शामिल है) लंबित आयकर कटौती के साथ (''टीडीएस'') राशि रू. 7,64,87,924/- (रूपये सात करोड़ चौसठ लाख सतासी हजार नौ सौ चौबीस मात्र) के साथ (''कर्ज खाता नं. 2'' के विरूध्द), राशि रू. 53,09,95,555/- (रूपये तिरपन करोड़ नौ लाख पचानवे हजार पाँच सौ पचपन मात्र) (जिसमें बकाया मूलधन और उसका ब्याज और डिफ़ॉल्ट ब्याज शामिल है) लंबित आयकर कटौती के साथ (''टीडीएस'') राशि रू. 1,19,28,092/- (रूपये एक करोड़ उन्नीस लाख अठ्ठाईस हजार बानवे मात्र) के साथ (''कर्ज खाता नं. 3'' के विरूध्द) और राशि रू. 176,79,04,542/- (रूपये एक सौ छिहत्तर करोड़ उनासी लाख चार हजार पाँच सौ बयालीस मात्र) (जिसमें बकाया मूलधन और उसका ब्याज और डिफ़ॉल्ट ब्याज शामिल है) लंबित आयकर कटौती के साथ (''टीडीएस'') राशि रू. 5,02,561/- (रूपये पाँच लाख दो हजार पाँच सौ इकसठ मात्र) के साथ (''कर्ज खाता नं. 4'' के विरूध्द) कुल राशि रू. 476,89,01,149/- (रूपये चार सौ छिहत्तर करोड़ नवासी लाख एक हजार एक सौ उनचास मात्र) (जिसमें बकाया मूलधन और उसका ब्याज और डिफ़ॉल्ट ब्याज शामिल है) लंबित आयकर कटौती के साथ (''टीडीएस'') राशि रू. 10,13,61,951/- (रूपये दस करोड़ तेरह लाख इकसठ हजार नौ सौ इक्यावन मात्र) और 16.07.2021 (चारों ''कर्ज खाता नं. 1 और 4'' के लिए) के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी।

और जबकि इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड ने एडलवाइस एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी (ईएआरसी ट्रस्ट एससी-439 (''ईएआरसी'') के ट्रस्टी के रूप में कार्य कर रहा है) को अंतर्निहित प्रतिभूतियों और सभी अधिकारों, ब्याज और शिर्षक के साथ कर्ज खाता नं. S000240239, S000240242, S000240244 और S000241453 सौंपा है, जो कि समनुदेशन करार दिनांक 30.09.2021 के तहत, जिसके अनुसरण में ईएआरसी सुरक्षित लेनदार बन गया है।

और जबकि धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को ईएआरसी के अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 04.01.2022 को संपत्ति पर सांकेतिक आधिपत्य कर लिया है।

विशेषतः कर्जदारों और सामान्यतः जनता को एतद्द्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू. 59,09,82,081/- (रूपये उनसठ करोड़ नौ लाख ब्यासी हजार और इक्यासी मात्र) (जिसमें बकाया मूलधन और उसका ब्याज और डिफ़ॉल्ट ब्याज शामिल है) लंबित आयकर कटौती के साथ (''टीडीएस'') राशि रू. 1,24,43,374/- (रूपये एक करोड़ चौबीस लाख तैतालीस हजार तीन सौ चौहत्तर मात्र) के साथ (''कर्ज खाता नं. 1'' के विरूध्द), राशि रू. 187,90,18,971/- (रूपये एक सौ सतासी करोड़ नब्बे लाख अठारह हजार नौ सौ इकहत्तर मात्र) (जिसमें बकाया मूलधन और उसका ब्याज और डिफ़ॉल्ट ब्याज शामिल है) लंबित आयकर कटौती के साथ (''टीडीएस'') राशि रू. 7,64,87,924/- (रूपये सात करोड़ चौसठ लाख सतासी हजार नौ सौ चौबीस मात्र) के साथ (''कर्ज खाता नं. 2'' के विरूध्द), राशि रू. 53,09,95,555/- (रूपये तिरपन करोड़ नौ लाख पचानवे हजार पाँच सौ पचपन मात्र) (जिसमें बकाया मूलधन और उसका ब्याज और डिफ़ॉल्ट ब्याज शामिल है) लंबित आयकर कटौती के साथ (''टीडीएस'') राशि रू. 1,19,28,092/- (रूपये एक करोड़ उन्नीस लाख अठ्ठाईस हजार बानवे मात्र) के साथ (''कर्ज खाता नं. 3'' के विरूध्द) और राशि रू. 176,79,04,542/- (रूपये एक सौ छिहत्तर करोड़ उनासी लाख चार हजार पाँच सौ बयालीस मात्र) (जिसमें बकाया मूलधन और उसका ब्याज और डिफ़ॉल्ट ब्याज शामिल है) लंबित आयकर कटौती के साथ (''टीडीएस'') राशि रू. 5,02,561/- (रूपये पाँच लाख दो हजार पाँच सौ इकसठ मात्र) के साथ (''कर्ज खाता नं. 4'' के विरूध्द) कुल राशि रू. 476,89,01,149/- (रूपये चार सौ छिहत्तर करोड़ नवासी लाख एक हजार एक सौ उनचास मात्र) (जिसमें बकाया मूलधन और उसका ब्याज और डिफ़ॉल्ट ब्याज शामिल है) लंबित आयकर कटौती के साथ (''टीडीएस'') राशि रू. 10,13,61,951/- (रूपये दस करोड़ तेरह लाख इकसठ हजार नौ सौ इक्यावन मात्र) और 16.07.2021 (चारों ''कर्ज खाता नं. 1 और 4'' के लिए) के अनुसार उक्त तिथि से वास्तविक भुगतान या वसूली तक संविदात्मक दरों पर भविष्य के ब्याज सहित अन्य सभी लागतों, चूक ब्याज, प्रभारों और उस पर आकस्मिक व्यय के साथ ईएआरसी के आधीन रहेगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति/संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

संपत्तियाँ/युनिटस/अपार्टमेन्टस/फ्लैटस (निर्मित/निर्माण होनेवाले) सभी भाग और खण्ड (पहली मंजिल दुकान नं. 25, 39, 28 और 29 और निचली मंजिल पर 23, 42 और 56 छोड़कर) वर्तमान और/या भविष्य की संरचनाओं, भवनों, फर्नीचर, फिक्श्चर, फिटिंग, स्टैंडिंग और/या सयंत्र और मशिनरी के साथ स्थापित/स्थापित होनेवाले और/या निर्मित/निर्माण होनेवाले सभी वर्तमान और भविष्य के अधिकार, शिर्षक शिप्रा हॉटेल्स लिमिटेड के हित में:

प्लॉट नं. 9 मापित 58814.71 स्क्वे. मीटर्स, वैभव खण्ड में स्थित, गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्कीम, उत्तर प्रदेश और ''शिप्रा हॉटेल्स लिमिटेड'' के स्वामित्व में और वही निम्नानुसार परिबध्द है:

पूर्व: जीटीए भूमि 80 फीट चौड़ी सड़क — पश्चिम: जीटीए भूमि 80 फीट चौड़ी सड़क
उत्तर: जीटीए भूमि 80 फीट चौड़ी सड़क — दक्षिण: 100 मीटर्स चौड़ी हरित पट्टी

सही/-
दिनांक: 04.01.2022 — प्राधिकृत अधिकारी
स्थान: इंदिरापुरम (गाजियाबाद) — एडलवाइस एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

टुडे होम्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
(निगमित ऋणशोधन प्रस्ताव प्रक्रिया के तहत)
सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि टुडे होम्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. के प्रस्ताव व्यावसायिक मौजूदा अधोहस्ताक्षरी, एक कंपनी जिसके निगमित ऋणशोधक प्रस्ताव प्रक्रिया ने IB/2130/2019 में आदेश दिनांक 31.10.2019 के तहत माननीय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी), नई दिल्ली, कोर्ट-II द्वारा शुरू की गई थी, ने कंपनी पर कब्जा लेने के लिए कैनरी ग्रीन्स बायर्स वेलफेयर एसोसिएशन, कैलिडोस फ्लैट ऑनर्स वेलफेयर एसोसिएशन और रॉयल एलिगेन्सिया अपार्टमेंट बायर्स एसोसिएशन के संघ द्वारा दायर प्रस्ताव योजना के अनुमति प्राप्त करने के लिए ऋणशोधन व दिवालिया कोड, 2016 की धारा 30(6) और 31 के तहत माननीय एनसीएलटी के समक्ष एक आवेदन विविध नं. IA/4766/2021 अभिमान्य किया है।

उक्त आवेदन को 30.11.2021 को माननीय एनसीएलटी, नई दिल्ली, कोर्ट-II के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था जिसमें माननीय ट्रिब्यूनल ने उक्त आवेदन की सामान्य सूचना जारी करने को कहा था और निर्देश दिया था कि सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर माननीय एनसीएलटी, नई दिल्ली, कोर्ट-II के समक्ष संबंधित व्यक्तियों द्वारा प्रस्ताव योजना के लिए कोई विरोध, यदि कोई है दायर किया जाता है।

आदेश दिनांक 30.11.2021 के संदर्भ में, एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त मामले से संबंधित कोई व्यक्ति जो उक्त प्रस्ताव योजना के अनुमोदन के विरुद्ध कोई विरोध रखता है को अस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी को एक अग्रिम प्रति की सेवा के साथ अपने ई-फाइलिंग पोर्टल https://efiling.nclt.gov.in/mainPage.drt पर माननीय एनसीएलटी, नई दिल्ली, कोर्ट-II के समक्ष आईबीबीआई (निगमित व्यक्तियों के लिए ऋणशोधक प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियम, 2016 के प्रावधानों के सहित पठित ऋणशोधन व दिवालियापन कोड, 2016 के प्रावधानों के अनुसार ऐसा विरोध दायर करना होगा।

उक्त मामले पर विस्तृत विवरण के लिए, कृपया अधोहस्ताक्षरी से संपर्क करें।

नीलेश शर्मा
प्रस्ताव व्यावसायिक
टुडे होम्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
IBBI Reg. No.: IBBI/IPA-002/IP-N00104/2017-18/10232
पंजी. पता: सी10, एलजीएफ, लाजपत नगर III नई दिल्ली 110024
Email id: nilesh.sharma@rrrinsolvency.com / ip.todayhomesinfra@gmail.com
Contact No.: +91-9811418701

इंटेक कैपिटल लिमिटेड

पंजी. कार्यालय: 708, मंजूषा बिल्डिंग, 57, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019

परिशिष्ट IV [देखें नियम 8(1)] कब्जा सूचना

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत इन्टेक कैपिटल लि. के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के [नियम 3] के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 14.10.2021 जारी कर ऋणधारक मैसर्स ओ.पी. इंजीनियरिंग वर्क्स (कर्जदार) इसके प्रोपराइटर लक्ष्मीकान्त शर्मा के माध्यम से, श्री लक्ष्मीकान्त शर्मा (जमानती), श्रीमती संगीता शर्मा (जमानती) से ऋण खाता सं. LNNHP00213-140002602 तिथि 31.07.2013 के परिप्रेक्ष्य में उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 49,57,333/- (रुपए उनचास लाख सत्तावन हजार तीन सौ तैंतीस मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक/मार्टगैजर इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 5 जनवरी, 2022 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों /मार्टगैजर तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय 31.08.2021 तक रु. 49,57,333/- (रुपए उनचास लाख सत्तावन हजार तीन सौ तैंतीस मात्र) तथा पूर्ण भुगतान तक उस पर ब्याज एवं व्ययों के लिए इन्टेक कैपिटल लि. के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अनुसूची-I
दृष्टिबन्धक मशीनों का विवरण

क्र.सं.	मशीनरी का विवरण	मात्रा
1	वीएमसी मॉडल वी-510 एमवी	1

तिथि: 05.01.2022 — प्राधिकृत अधिकारी
स्थान: नेहरू प्लेस, नई दिल्ली — इन्टेक कैपिटल लि.

TATA टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत पता : 11वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013
शाखा पता : टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, बी-36, प्रथम एवं द्वितीय तल, लाजपत नगर-भाग 2, एचडीएफसी बैंक के ऊपर, नई दिल्ली-110024

अचल सम्पत्ति की बिक्री हेतु विक्रय सूचना
(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के तहत)
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना

विशेष रूप से निम्नलिखित प्रतिनिधियों (कर्जदारों) को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (टीसीएचएफएल) के पास नीचे वर्णित बंधक अचल सम्पत्ति, जिसका भौतिक कब्जा टीसीएचएफएल के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कर लिया गया है, नीचे वर्णित कर्जदार तथा सह-कर्जदारों से बकाया देयताओं की वसूली हेतु ''जहाँ है जैसे है'', ''जो है जैसे है'' तथा ''जो भी है वहीं है'' के आधार पर 27 जनवरी, 2022 को बिक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि नीचे उल्लिखित है। एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि बिक्री के किसी आस्थगन/असतता की अनुपस्थिति में, कथित सम्पत्ति की बिक्री ई-नीलामी 27 जनवरी, 2022 को 2 बजे अप. को जायेगी। ई-नीलामी में भाग लेने हेतु ईएमडी के डिमाण्ड ड्राफ्ट का मुहरबन्द लिफाफा टीसीएचएफएल के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा 25 जनवरी, 2022 को 5 बजे अप. तक शाखा पता : टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, बी-36, प्रथम एवं द्वितीय तल, लाजपत नगर-भाग 2, एचडीएफसी बैंक के ऊपर, नई दिल्ली-110024 पर प्राप्त की जायेगी।

सम्पत्ति की बिक्री ''जहाँ है जैसे है स्थिति'' में की जायेगी तथा कथित सम्पत्ति से सम्बद्ध दायित्व तथा दावे, जो अब तक सुनिश्चित किये गये हैं अनुसूची में निर्दिष्ट हैं।

क्र. सं.	ऋण खाता सं. शाखा	कर्जदार(रों)/सह-कर्जदार(रों)/विधिक उत्तराधिकारी(यों)/विधिक प्रतिनिधि(यों)/जमानती(यों) के नाम	माँग सूचना के अनुसार राशि तथा माँग सूचना की तिथि	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि
1.	9985726 and 10305444	श्री मुकेश लाल गर्ग (कर्जदार) एवं श्रीमती कोमल गर्ग (सह-कर्जदार)	19 अक्टूबर, 2018 तक 9985726 के प्रति रु. 6255438 तथा 31 अक्टूबर, 2019 तक रु. 18,81,046/-	रु. 31,50,000/- / रु. 3,15,000/-
	अचल सम्पत्ति का विवरण : खेवट सं. 182, खतौनी सं. 251, एमयु सं. 37, किला सं. 2(4-3) का 4/83 भाग (पार्ट), नकदर रकबा-4 मरले अर्थात एक किता बरकबा (माप क्षेत्रफल) 126.5 वर्ग गज वाका मौजा अजरौंदा, तहसील एवं जिला फरीदाबाद, हरियाणा का सम्पूर्ण भाग।			
2.	9556026	श्री विनय मिश्रा (कर्जदार) श्रीमती विन्दू स्वपन कुमार दास (सह-कर्जदार)	रु. 60,73,522/- 06-नव.-2018	रु. 2255000/- / रु. 225500/-
	अचल सम्पत्ति का विवरण : आवासीय फ्लैट सं. 2404, टॉवर ए-8, बिल्डिंग 'सेवियर ग्रीनिस्ले' का सम्पूर्ण भाग, जीएच प्लॉट नं. 11, सेक्टर-2, टाउनशिप क्रॉसिंग रिपब्लिक, डुंडाहेड़ा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश पर स्थित, माप क्षेत्रफल 1800 वर्ग फीट			

नीलामी में जनसामान्य को अपनी संविदा(एं) व्यक्तिगत रूप से जमा करने के लिए आमन्त्रित किया जाता है। एतद्द्वारा कर्जदार(रों)/सह-कर्जदार(रों) को एतद्द्वारा इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के भीतर भावी ब्याज सहित कुल बकाया भुगतान करने का अन्तिम अवसर दिया जाता है जिसमें असफल रहने पर अचल सम्पत्ति की बिक्री अनुसूची के अनुसार कर दी जायेगी। यदि प्राधिकृत अधिकारी के पास अनुसूची में वर्णित बकाये, ब्याज लागत (बिक्री लागत आदि) जमा कर दी जाती है अथवा उक्त प्रमाणपत्र की राशि, ब्याज एवं लागत अधोहस्ताक्षरी के पास नीलामी की तिथि से पूर्व जमा कर दिए होने का उनकी संतुष्टि के लिए प्रमाण जमा कर दिया जाता है तो यह बिक्री रोक दी जाएगी। ऐसे किसी भी अधिकारी या व्यक्ति जिन्हें इस बिक्री के सिलसिले में किसी भी प्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करना हो, चाहे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, ने बिक्री की जाने वाली सम्पत्ति में कोई हित अर्जित या अर्जित करने का प्रयास नहीं करेंगे। यह बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 में निर्दिष्ट शर्तों तथा अधोलिखित शर्तों के अधीन होगी : ई-नीलामी बिक्री प्रति 10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ पोर्टल www.123done.in के माध्यम से 27 जनवरी, 2022 को 2.00 बजे अप से 3.00 बजे अप के बीच प्रत्येक 10 मिनट के सीमित विस्तार के साथ आयोजित की जायेगी।

नियम एवं शर्तें : 1. संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार प्रस्तुत किये गये हैं, लेकिन इस उद्घोषणा में किसी गलती अथवा खामी के लिये अधोहस्ताक्षरी उत्तरदायी नहीं होंगे। यदि बोली राशि अथवा बोलीदाता से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो अचल सम्पत्ति को प्राधिकृत अधिकारी के विवेकानुसार फिर से नीलामी पर प्रस्तुत किया जायेगा। 2. आरक्षित मूल्य से कम में सम्पत्ति की बिक्री नहीं की जायेगी। 3. बोली वृद्धि राशि रु. 10,000/- (रुपये दस हजार मात्र) होगी। 4. सम्पत्ति की खरीद के लिये जमा की गई सभी निविदाओं के साथ ''टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड'' के पक्ष में शाखा पते में देय में भुगतान योग्य डिमांड ड्राफ्ट द्वारा उपर्युक्त धरोहर राशि संलग्न की जायेगी। असफल बोलीदाता का डिमांड ड्राफ्ट नीलामी के बाद वापस लौटा दिया जायेगा। एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस के माध्यम से ईएमडी के भुगतान हेतु कृपया अधिकृत प्राधिकारी से सम्पर्क करें। 5. उच्चतम बोलीदाता को सफल संविदाकार घोषित किया जायेगा बशर्ते वे कानूनी रूप से बोली करने के लिये योग्य हों तथा उनके द्वारा जमा राशि आरक्षित मूल्य से कम नहीं हो। यदि प्रस्तावित मूल्य स्पष्ट रूप से अपर्याप्त होता है तथा ऐसा करना व्यावहारिक नहीं होता है तो अधोहस्ताक्षरी स्वेच्छा से उच्चतम बोली को अस्वीकार कर सकते हैं। 6. दर्ज कारणों से प्राधिकृत अधिकारी को स्वेच्छा से बिक्री को स्थगित करने/रोकने का अधिकार है। 7. सम्पत्ति का निरीक्षण 20 जनवरी, 2022 को 11 बजे प्रातः से 5.00 बजे सायं के बीच किया जा सकता है। 8. सफल संविदाकार घोषित किये गये व्यक्ति को ऐसी उद्घोषणा के तुरन्त बाद 24 घण्टे के भीतर क्रय राशि/संविदा का पच्चीस प्रतिशत 'अधिकृत प्राधिकारी' के पास जमा करना होगा और इसमें ईएमडी राशि शामिल होगी और इस राशि के जमा करने में असफल रहने पर सम्पत्ति को निजी संधि द्वारा पुनः नई नीलामी/बिक्री के लिए रखा जायेगा। 9. यदि उपर्युक्त के अनुसार प्रारम्भिक राशि अदा कर दी जाती है तो क्रय राशि की शेष देय राशि क्रेता द्वारा सम्पत्ति के विक्रय की पुष्टि की तिथि के 15वें दिन को या इससे पूर्व 'अधिकृत प्राधिकारी' के पास जमा करनी होगी, यदि उस 15वें दिन रविवार या कोई अन्य अवकाश होता है तो इसे 15वें दिन के बाद पहले कार्यालयी दिन पर जमा करनी होगी। 10. उपर्युक्त अवधि के भीतर भुगतान न कर पाने की स्थिति में सम्पत्ति को निजी संधि द्वारा नई नीलामी/बिक्री पर रखा जायेगा। ईएमडी सहित जमाएँ टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा जब्त कर लिया जायेगा और दोषी क्रेता सम्पत्ति या उस राशि के किसी भाग के प्रति कोई दावा नहीं कर सकेगा। 11. टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को सम्पत्ति के प्रति देय अधिभारों की जानकारी का विवरण शून्य, सम्पत्ति पर रखे गये दावे अथवा उस प्रकृति एवं मूल्य के अन्य ज्ञात विवरण : उपरोक्त तालिका में विवरण के अनुसार। इच्छुक संविदाकारों को सांविधिक दायित्व, सम्पत्ति कर, बिजली आदि के बकायों सहित सम्पत्ति पर ऋणभारों से सम्बन्धित अपनी निजी स्वतन्त्र पूछताछ कर लेने का परामर्श दिया जाता है। 12. अन्य विवरणों अथवा ऑनलाइन ई-नीलामी प्रक्रिया पर प्रशिक्षण के लिए संभावित बोलीदाता हमारे सेवा प्रदाता कल्पना चौखंडी, ऑक्सिजो एसेट मैनेजमेंट (प्रा.) लि., पता : 317, 3सरा तल, नोएडा-वन बिल्डिंग, टॉवर-बी, सेक्टर-62, नोएडा (उ.प्र.-201301) से इनके मोबाइल नं. +91 7428993237, ई-मेल आईडी : kalpana.b@123done.in अथवा अरिजीत भट्ट से ई-मेल आईडी : Arijit.bhatt@tatacapital.com अधिकृत प्राधिकारी मोबाइल नं. 9029073280 से सम्पर्क कर सकते हैं। कृपया अपनी पूछताछ व्हाट्सएप नम्बर : 9029073280 पर करें। 13. उच्चतम संविदाकार को उच्चतम घोषित संविदा राशि पर 1% टीडीएस प्रयोज्य एवं देय होगा। यह भुगतान उच्चतम संविदाकार द्वारा स्वामी/कर्जदार(रों) के पैन में जमा करनी होगी तथा चालान की प्रति हमारी कम्पनी के पास जमा करनी होगी। 14. उपर्युक्त विवरण के लिए कृपया प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट https://bit.ly/3eWgFS3 में प्रावधानित लिंक देखें।

कृपया ध्यान दें - टीसीएचएफएल ने इस सम्पत्ति की बिक्री/नीलामी हेतु उल्लिखित नीलामी सहभेदार के अतिरिक्त किसी ब्रोकर/एजेंट को नहीं नियुक्त किया है। इच्छुक संविदाकार केवल अधोहस्ताक्षरी या अधिकृत प्राधिकारी से इस मामले में सभी पूछताछ एवं जानकारी के लिए सम्पर्क करें।

स्थान : नई दिल्ली — ह./- अधिकृत प्राधिकारी
तिथि : 07.01.2022 — कृते टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

SHRIRAM HOUSING FINANCE
श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

मुख्य कार्यालय :लेवल 3, वोकहार्ट टॉवर्स, ईस्ट विंग, सी-2 ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, बांद्रा (ईस्ट), मुम्बई 400 051, दूरभाष : 022 4241 0400, 022 4060 3100 वेबसाइट : http://www.shriramhousing.in
पंजीकृत कार्यालय : कार्यालय सं. 123, अंगप्पा नैकेन स्ट्रीट, चेन्नई-600 001 शाखा कार्यालय : प्लॉट नं. 245 एवं 246, दूसरी मंजिल, ओमकारम टॉवर, हनुमान नगर-डी, आम्रपाली मार्ग, वैशाली नगर, जयपुर 302021

परिशिष्ट-IV-A [नियम 8(6) का प्रावधान देखें] अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु विक्रय सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार/रों एवं जमानती/यों को सूचना दी जाती है कि श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका भौतिक कब्जा श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा किया गया है, की बिक्री तालिका में वर्णित के अनुसार कर्जदारों एवं जमानतियों से द श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के बकायों की वसूली के लिए ''जहाँ है जैसे है'', ''जो है यही है'' तथा ''जो कुछ भी है वहीं है'' आधार पर ई-नीलामी के माध्यम से 24.01.2022 को 11.00 बजे पूर्वा. से 1.00 बजे अप. के बीच की जायेगी। कर्जदारों तथा जमानतियों के विवरण, बकाया राशि, अचल सम्पत्ति का संक्षिप्त विवरण तथा उस पर ज्ञात ऋणभार, आरक्षित मूल्य एवं जमा धरोहर राशि तथा वृद्धि भी निम्नवत दी गयी है :

कर्जदारों/सहकर्जदारों/जमानतियों/बंधककर्ताओं के नाम	13(2) माँग सूचना की तिथि एवं राशि	सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य (रु.) तथा संविदा वृद्धि	जमा धरोहर राशि (ईएमडी) का विवरण	नीलामी की तिथि एवं समय	सम्पर्क व्यक्ति तथा निरीक्षण की तिथि
1. मैसर्स ओम सोखल बिल्डर्स एंड कंस्ट्रक्शन्स प्रा. लिमिटेड (इसके निदेशक श्री राम गोपाल सोखल के माध्यम से) पता:-105, गणपति एन्क्लेव, सेंट्रल स्पाइन, विद्याधर नगर, जयपुर 302023 2. राम गोपाल सोखल पुत्र राम नारायण सोखल प्लॉट नंबर 333, काना राम नगर, विजय बारी, धेर का बालाजी, सीकर रोड, जयपुर 302023 3. श्रवण कुमार कुमावत पुत्र राम नारायण सोखल 4. नंद लाल सोखल पुत्र राम नारायण सोखल दोनों का पता:- प्लॉट नंबर 334, काना राम नगर, विजय बारी, धेर का बालाजी, सीकर रोड, जयपुर 302023 ऋण खाता संख्या **SBLHJIPR0000205 और SBLHJIPR0000207**	माँग सूचना दिनांक 11-2-2017 **SBL-HJIPR0000205** रु. 11,61,16,052/- (ग्यारह करोड़ इकसठ लाख सोलह हजार बावन मात्र) और **SBL-HJIPR0000207** रु. 4,26,94,758/- (रुपये चार करोड़ छब्बीस लाख चौरानबे हजार सात सौ अट्ठावन मात्र) 10-2-2017 तक और यहां से आगे उल्लिखित ब्याज और आकस्मिक व्यय, लागत आदि।	सम्पत्ति सं. 1 फ्लैट नं. 105, प्रथम तल, गणपति एन्कलेव, प्लॉट नं. 14, सेंट्रल स्पाइन, विद्यानगर, जयपुर, राजस्थान पर स्थित, माप 1050 वर्ग फीट (97.50 वर्ग मीटर) सम्पत्ति सं. 2: (i) प्लॉट नं. 333 काना राम नगर, विजय बारी, धेर का बालाजी, सीकर रोड, जयपुर, माप क्षेत्रफल 263.60 वर्ग मीटर (ii) प्लॉट नं. 333ए, काना राम नगर, विजय बारी, धेर का बालाजी, सीकर रोड, जयपुर, माप क्षेत्रफल 227.66 वर्ग मीटर	संपत्ति संख्या 1 के लिए रु. 34,00,000/- (रुपये चौंतीस लाख मात्र) संपत्ति संख्या 2 के लिए रु. 1,60,00,000/- (रुपये एक करोड़ साठ लाख मात्र) संविदा वृद्धि रु. 20,000/- तथा इसके गुणकों में	ईएमडी नीचे वर्णित खाता विवरण में आरटीजीएस/एनईएफटी द्वारा जमा की जानी है : बैंक का नाम : एक्सिस बैंक लिमिटेड शाखा : बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, मुम्बई बैंक खाता सं. : चालूखाता सं. 911020013220315 आईएफएससी कोड : **UTIB0000230**	24 जनवरी, 2022 समय 11:00 बजे पूर्वा. से 1.00 बजे अप.	कस्टमर केयर न. 022-40081572 राम अवतार तंवर +91-9314682847 हितेश सोनी +91-9828230007 सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि : 21 जनवरी, 2022 समय :11.00 बजे पूर्वा. से 04.00 बजे अप.
कब्जा करने की तिथि एवं कब्जे का प्रकार	**ज्ञात ऋणभार**		**जमा धरोहर राशि (ईएमडी) (रु.)**			
08.04.2019 सम्पत्ति सं. 1 28.02.2019 सम्पत्ति सं. 2 भौतिक कब्जा	अज्ञात		संपत्ति संख्या 1 के लिए: रु. 3,40,000/- (रुपये तीन लाख चालीस हजार मात्र) संपत्ति संख्या 2 के लिए: रु. 16,00,000/- (रुपये सोलह लाख मात्र) ईएमडी जमा करने की अन्तिम तिथि 22-01-2022 समय 10.00 बजे पूर्वा. से 05.00 बजे अप.			

बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की वेबसाइट http://shriramhousing.in/e-auction-Residential.php देखें।

स्थान : जयपुर — ह./-अधिकृत प्राधिकारी
तिथि : 07.01.2022 — श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड